प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला–जयपुर, थाना–प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष–2023
   प्र0इ0रि0 सं. .....152/23.....दिनांक..... 14/6/2023
2. (I) अधिनियम...धारा 7 पी0सी0 (संशोधित)एक्ट 2018
3 (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....268..... समय 8:40 PM
   (ब) अपराध घटने का दिन बुधवार दिनांक 14.06.2023 समय 10.22 ए.एम
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक– लिखित
5. घटनास्थल :– पुलिस थाना ज्योतिनगर जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय जयपुर
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–बजानिब पश्चिम करीब 4 किमी
   (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....
6. (1)परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम–श्री रोशन बैरवा
   (ब) पिता/पति का नाम– श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा
   (स) जन्म तिथी–उम्र–23 साल
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय –
   (ल) पता– एफ–241 लालकोठी योजना टोंक रोड, थाना ज्योति नगर, जयपुर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
   श्री सूबे सिंह जाटव पुत्र श्री फगनीराम उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट मुडियासाद, तहसील बैर पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर हाल निवासी 77बी चाणक्यपुरी तिलक अस्पताल के पास आगरा रोड पुलिस थाना कानोता जयपुर हाल कानिस्टेबल बेल्ट नम्बर 6540, पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय जयपुर।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य–3000/– रूपये
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

दिनांक 13.06.2023 को समय 02.30 पीएम पर श्री अभिषेक पारीक, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर द्वितीय जयपुर ने मन पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके सम्मुख बैठे एक व्यक्ति श्री रोशन बैरवा परिवादी से परिचय करवाकर उसके द्वारा पुलिस थाना ज्योतिनगर के कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने के संबंध में एक लिखित प्रार्थना अग्रिम कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित कर मुझे सुपुर्द किया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय प्रार्थना पत्र अपने कार्यालय कक्ष में आकर परिवादी का नाम पता पुछा तो परिवादी ने अपना नाम श्री रोशन बैरवा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, निवासी एफ–241 लालकोठी योजना टोंक रोड, पुलिस थाना ज्योति नगर जयपुर मोबाईल नम्बर 9352614739 होना बताया। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री रोशन बैरवा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। जिसमें परिवादी ने अंकित किया है कि सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर विषयः– रिश्वत लेते हुए पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मेरे पिताजी व चाचा जी के बीच मकान F 241 लालकोठी योजना टोंक रोड जयपुर के समध मे विवाद चल रहा है करीब 4–5 दिन पहले मेरी चाची व उसके लडके सुनिल के सात पारिवारिक विवाद को लेकर मेरे मम्मी पापा के सात कहासुनी हुई थी तो मेरी चाची व सुनिल बैरवाने ज्योती नगर थाने जाकर मेरी मम्मी व पापा के साथ मेरी झुटी रिपोर्ट देदी जिसकी जांच सुबेसिह कर रहा है, मेरा नाम निकालने के लिए सुबेसिंह 5000 रूपये मांग रहा है मै उसको रिश्वत नही देना चाहता हूं मे सुबेसिंह को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं मेरी उससे कोई उदार लेनदेन नही है और रंजीश भी नही है" एसडी

प्रार्थी रोशन बैरवा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा निवासी F 241 लालकोठी योजना टोंक रोड जयपुर, दिनांक 13.06.2023. प्रार्थना पत्र के संबंध में परिवादी रोशन बैरवा पूछा तो बताया कि यह प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा लिखा जाकर मैने मेरे हस्ताक्षर किये है। मजीद दरियाफ्त पर एवं प्रार्थना पत्र से मामला प्रथम दृष्टया लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग का पाया जाने पर परिवादी से संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया एवं श्री अशोक कुमार कानि0 434 को मन पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री रोशन बैरवा से परिचय करवाया गया तथा कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर उसमें नया मेमोरी कार्ड डालकर दोनों का खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री रोशन बैरवा को चलाने व बंद करने की विधि समझाई जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को जरिये फर्द सुपुर्द किया गया। परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई कि आरोपी के पास जाकर उससे स्वयं की रिपोर्ट से संबंधित कार्य के लिए रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत करें और सम्बन्धित वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। श्री अशोक कुमार कानि0 434 को मुनासिब हिदायत देकर समय 04.00 पीएम पर जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर श्री अशोक कानि 434 को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। समय 05.00 पीएम पर परिवादी श्री रोशन बैरवा मय अशोक कुमार कानि. 434 के कार्यालय में उपस्थित आया एवं बंद डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को पेश कर परिवादी श्री रोशन बैरवा ने बताया कि मैं व अशोक जी आपके कार्यालय से रवाना होकर ज्योति नगर थाने के पास पहुंचे जहां पर मैंने अशोक जी की उपस्थिति में डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करके ज्योति नगर थाने में गया और अशोक जी थाने के पास ही रूक गये। ज्योति नगर थाने के अन्दर सूबेसिंह कानिस्टेबल जो मेरे खिलाफ दी गई रिपोर्ट की जांच कर रहा है मुझसे मिला और सूबेसिंह ने मेरे से रिपोर्ट के बारे में बात की और कहा कि तेरे खिलाफ चाची ने जो रिपोर्ट दी है उसको मैं खतम कर दूंगा और तेरा कोई नाम नहीं आयेगा एवं सूबेसिंह ने इस काम के लिए मेरे से रिश्वत की मांग की, मेरे द्वारा रिश्वत राशि कल देने की कहने पर सूबेसिंह कानिस्टेबल थाना ज्योति नगर ने हमारे खिलाफ थाने में दर्ज रिपोर्ट खतम करने के लिए मेरे से तीन हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग की और रिश्वत राशि लेकर कल सुबह 9–10 बजे थाने पर बुलाया है, इस वार्ता को मैंने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की है। सूबेसिंह से बात करने के बाद मैं थाने के बाहर आकर अशोक जी के पास आया और अशोक जी को रिकॉर्डर बंद करके सुपुर्द किया उसके बाद हम दोनों रवाना होकर आपके पास आये हैं। जिसकी ताईद कानिस्टेबल अशोक कुमार द्वारा की गई। इसके उपरांत परिवादी रोशन बैरवा द्वारा पेश किया गया डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर ऑन कर सुना गया तो इसमें दर्ज वार्ता के बारे में रोशन बैरवा ने अपनी स्वयं और कानिस्टेबल सूबेसिंह की आवाज की पहचान की तथा दर्ज वार्ता में कानिस्टेबल सूबेसिंह थाना ज्योति नगर द्वारा परिवादी रोशन बैरवा से उसके खिलाफ दर्ज रिपोर्ट के निस्तारण के लिए 3000/– रूपये की रिश्वत की मांग करते हुए परिवादी से कल प्रातः 9–10 बजे रिश्वत प्राप्ति का समय तय किया गया है। जिस पर परिवादी रोशन बैरवा को सूबेसिंह कानि. को रिश्वत में दी जाने वाली 3000/– रूपये की राशि लेकर गोपनीयता बरतते हुए कल दिनांक 14.06.2023 को प्रातः 8:30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय महाप्रबंधक गंगानगर शुगर मील, झालाना डूंगरी जयपुर से दो स्वतंत्र गवाह श्री अभिषेक मित्र कनिष्ठ सहायक व पार्थ शर्मा, सहायक लेखा लिपिक तलब किये गये जिनको दिनांक 14.06.2023 को प्रातः 8:30 ए. एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद कर रूखसत किया गया। दिनांक 14.06.2023 को समय 09.05 एएम पर परिवादी श्री रोशन बैरवा व पाबन्दशुदा गवाहान श्री अभिषेक मित्रा कनिष्ठ सहायक व श्री पार्थ शर्मा सहायक लेखा लिपिक, कार्यालय महाप्रबंधक गंगानगर शुगर मील, कोईरा भवन, झालाना डूंगरी जयपुर उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी रोशन बैरवा तथा गवाहान एवं कार्यालय स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान से परिवादी रोशन बैरवा द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान किये जाने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उनको पढ़वाया जाकर, प्रार्थना पत्र पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा स्वयं की अलमारी से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 13. 06.2023 को परिवादी व आरोपी सूबेसिंह के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दर्ज है को गवाहान के समक्ष ऑन करके गवाहान को परिवादी की उपस्थिति में सुनाया गया, जिसमें परिवादी रोशन बैरवा ने स्वयं व सूबेसिंह की आवाज की पहचान की। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को बंद कर स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। समय 09.25 एएम पर मन पुलिस

निरीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रोशन बैरवा को संदिग्ध श्री सुबेसिंह कानि0 पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय जयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी रोशन बैरवा ने अपने पास से 500–500 रूपये के 06 नोट कुल 3000/–रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। जिनका विवरण फर्द में अंकित करवाकर नोटों के नम्बर मन पुलिस निरीक्षक एवं स्वतंत्र गवाह श्री अभिषेक मित्रा व श्री पार्थ शर्मा द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर सही पाये गये। श्री राजकुमार है0कानि0 35 से कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच–पांच सौ रूपये के 06 नोटों कुल 3000/– रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री राजकुमार है0कानि0 35 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। परिवादी रोशन बैरवा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह अभिषेक मित्रा से लिवायी गयी, परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी रोशन बैरवा की पहनी हुई पेन्ट की सामने दाहिनी साईड वाली जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटो को श्री राजकुमार हैड कानि. 35 से रखवाया गया व परिवादी को हिदायत की गई कि आरोपी से हाथ नही मिलावे व हाथ जोडकर अभिवादन करे तथा रिश्वती राशि को कहां रखता है, इसका भी ध्यान रखा जावे। श्री राजकुमार हैड कानि. 35 से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी कार्यालय की अलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके पश्चात उक्त सोडियम कार्बोनेट के घोल में श्री राजकुमार हैड कानि. 35 के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे मे दृष्टान्त दिलवाया जाकर समझाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रोशन बैरवा को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मो0 नं0 9772201651 पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का यथा–सम्भव प्रयास करें। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया, श्री राजकुमार हैड कानि. 35 के दोनों हाथों व गिलास को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी श्री रोशन बैरवा को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी श्री रोशन बैरवा को रिश्वती राशि लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु पूर्व मे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में उपयोग मे लिये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर जिसमे एसडी कार्ड लगा हुआ है को चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द किया गया व तथा राजकुमार हैड कानि. 35 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय मे ही छोडा गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.50 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक, श्री राजेन्द्र सिंह कानि 55, अशोक कुमार कानि 99, विरेन्द्र कुमार कानि0 66, श्रीमती ममता मकानि0, पूरण सिंह कानि 243, श्री वीरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री अभिषेक मित्रा व श्री पार्थ शर्मा मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामान के सरकारी व प्राईवेट वाहन व चालको के एवं परिवादी श्री रोशन बैरवा व श्री अशोक कानि0 434 को परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना कर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 10.00 एएम पर ज्योति नगर पुलिस थाना के पास पहुंचकर परिवादी रोशन बैरवा को वाईस रिकॉर्डर चालु करवाकर परिवादी रोशन बैरवा को संदिग्ध आरोपी सुबेसिंह कानि के पास पुलिस थाना ज्योति नगर मे रवाना किया गया व मन पुलिस निरीक्षक मय श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, हमराहियान जाब्ता के अपनी उपस्थिति छुपाते हुये पुलिस थाना ज्योति नगर के आसपास परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुये। वक्त 10.22 ए.एम. पर परिवादी श्री रोशन बैरवा ने अपने मोबाईल नम्बर 9352614739 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9772201651 पर वॉट्सअप से मिस कॉल कर रिश्वत लेन देन का नियत ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के पुलिस

थाना ज्योति नगर में प्रवेश कर पुलिस थाना के मुख्य द्वार पर स्टॉफ से सूबे सिंह कानि0 के बारे में पूछा तो थाना के प्रथम तल पर स्थित बैरक नम्बर 4 में होना बताया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह एवं जाप्ता के पुलिस थाना के प्रथम तल पर स्थित बैरक नम्बर 4 के गेट के सामने पहुंचा जहां पर परिवादी रोशन बैरवा एवं एक व्यक्ति खडे मौजूद मिले। परिवादी श्री रोशन बैरवा से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंदकर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री रोशन बैरवा ने अपने पास खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा करके मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि यही सूबे सिंह कानिस्टेबल है, जिसने अभी अभी मुझसे मेरी चाची द्वारा मेरे पिताजी, मम्मी एवं मेरे खिलाफ पुलिस थाना ज्योति नगर में दी गई रिपोर्ट में से मेरा नाम निकालने की एवज में 3000/– रूपये रिश्वत राशि मेरे से अपने दांये हाथ में लेकर दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी तरफ की जेब में रख लिये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व स्वतंत्र गवाह एवं एसीबी जाप्ता का परिचय देकर श्री सूबे सिंह से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सूबे सिंह जाटव पुत्र श्री फगनीराम उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट मुडियासाद, तहसील बैर पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर हाल निवासी 77बी चाणक्यपुरी तिलक अस्पताल के पास आगरा रोड पुलिस थाना कानोता जयपुर हाल कानिस्टेबल बेल्ट नम्बर 6540, पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय जयपुर होना बताया। आरोपी श्री सूबे सिंह जाटव कानिस्टेबल से परिवादी श्री रोशन बैरवा से प्राप्त की गई रिश्वती राशि 3000/– रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी श्री सूबे सिंह जाटव कानिस्टेबल ने कहा कि मैने रोशन बैरवा से कोई रिश्वति राशि नही ली है ना ही मैने रोशन बैरवा से रिश्वत राशि की मांग की है। इसको मैने एक महिने पहले 5000 रूपये उधार दिये थे, जिसमें से इसने आज मेरे 3000 रूपये वापस लौटाये है। जो मेरी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांहिनी तरफ की जेब में रखे है। इस पर पास खडे परिवादी से पूछने पर उसने कहा कि सूबे सिंह झूठ बोल रहा है। मैने इनसे कोइ रूपये उधार नही लिये है। इन्होने मुझसे मेरी चाची द्वारा मेरे पिताजी, मम्मी एवं मेरे खिलाफ पुलिस थाना ज्योति नगर में दी गई रिपोर्ट में से मेरा नाम निकालने की एवज में मेरे से 3000 रूपये की रिश्वत कल दिनांक 13.06.2023 को मांग की थी, इन्होने मुझसे आज अपनी मांग के अनुसार 3000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की है। इस पर सूबे सिंह कानिस्टेबल के दांये हाथ को श्री अशोक कुमार कानि. 99 व बांया हाथ स्वतंत्र गवाह श्री अभिषेक मित्रा से पोंचो(कलाई) से पकडवाकर परिवादी रोशन बैरवा व उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री सूबे सिंह जाटव कानिस्टेबल के दांहिने हाथ की अगुंलियों व अगुंठा को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क आर–1 व आर–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी रोशन बैरवा तथा आरोपी श्री सूबे सिंह जाटव कानिस्टेबल के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दूसरे साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री सूबे सिंह जाटव कानिस्टेबल के बांये हाथ की अगुंलियों व अगुंठा को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क एल–1 व एल–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री रोशन बैरवा तथा आरोपी श्री सूबे सिंह जाटव कानिस्टेबल के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री पार्थ शर्मा से आरोपी श्री सूबे सिंह जाटव कानिस्टेबल के पहने हुये पेन्ट की पीछे की दांयी जेब की तलाशी लिवायी गई तो आरोपी के पेन्ट के पीछे की दांयी जेब से पांच–पांच सौ रूपये की एक छोटी गड्डी मिली, नोटो को स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया तो पांच–पांच सौ रूपये के 6 नोट कुल 3000/– रूपये होना बताया। उक्त बरामद शुदा पांच–पांच सौ रूपये के 6 नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से कार्यालय मे पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बर फर्द मे अंकित नम्बरों के हुबहु मिलान होना बताया। बरामद शुदा नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा

पांच–पांच सौ रूपये के 6 नोट कुल 3000 रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर गवाहान व परिवादी तथा आरोपी श्री सूबे सिंह जाटव कानिस्टेबल के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात आरोपी के पेन्ट की अन्य जेबों की तलाशी उक्त गवाह से लिवायी गई तो अन्य कोई वस्तु दस्तयाब नही हुयी। इसके बाद आरोपी के बतायेनुसार बैरक में रखी दूसरी पेन्ट को आरोपी को पहने हेतु दी जाकर आरोपी की वक्त रिश्वत लेन–देन पहनी हुयी पेन्ट बंरग खाकी को उतरवाया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर कर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। आरोपी की पहनी पेन्ट की पीछे की दांयी जेब जिसमें से रिश्वती राशि बरामद हुई है को उलटवाकर उक्त तैयार शुदा घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा–आधा डालकर सील मोहर कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् पेन्ट की जेब को सुखवाकर पेन्ट की जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क–पी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी से प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। सूबे सिंह कानिस्टेबल से परिवादी रोशन बैरवा के विरूद्व दर्ज परिवाद के बारे में पूछा तो सूबेसिंह ने अपने बैग मे से निकालकर परिवादी व उसके परिवार के विरूद्व प्रेम देवी पत्नी जगदीश बैरवा निवासी एफ–241 लालकोठी योजना जयपुर के द्वारा दर्ज करवाया गया मूल परिवाद प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 31.05.2023 को सूबे सिंह 6540 को जांच कर रिपोर्ट पेश करने का पृष्ठांकन अंकित है एवं ऑनलाईन क्रमांक 00233 दिनांक 31.05.2023 अंकित है। उक्त मूल परिवाद के पीछे सूबे सिंह द्वारा प्रेम देवी के लिये गये बयान संलग्न है। इस पर थाने पर मौजूद डीओ श्री सरदार सिंह सउनि को तलब कर उक्त मूल परिवाद व बयान सुपुर्द किये इस पर श्री सरदार सिंह सउनि द्वारा संबंधित मूल परिवाद, बयान एवं ऑनलाईन परिवाद की प्रमाणित छायाप्रति पेश की गई जो प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी सुबेसिंह जाटव कानिस्टेबल नम्बर 6540 को अपनी आवाज का नमूना देने बाबत् नोटिस दिया तो आरोपी सुबेसिंह जाटव कानिस्टेबल ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इंकार किया। तत्पश्चात समय 12.20 पी.एम. पर आरोपी सूबे सिंह जाटव कानिस्टेबल बेल्ट नम्बर 6540, पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय जयपुर द्वारा परिवादी श्री रोशन बैरवा व उसके परिवार के विरूद्व उसकी चाची द्वारा पुलिस थाना ज्योति नगर में दी गई परिवाद रिपोर्ट में से परिवादी रोशन बैरवा का नाम निकालने व परिवाद का निस्तारण करने की एवज में दिनांक 13.06.2023 को मांग सत्यापन के दौरान 3000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मांग के अनुसरण में दिनांक 14.06.2023 को 3000 रूपये रिश्वत राशि परिवादी रोशन बैरवा से प्राप्त की गई, जो उसकी पहनी हुई पेंट की पीछे की दांयी जेब से बरामद हुई। जिससे श्री सूबे सिंह जाटव हाल कानिस्टेबल बेल्ट नम्बर 6540, पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय जयपुर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पीसी(संशोधन) एक्ट 2018 में कारित किया जाना पाया जाने पर आरोपी सुबेसिंह जाटव कानि0 को जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात समय 01.00 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक, श्री राजेन्द्र सिंह कानि 55, अशोक कुमार कानि 99, विरेन्द्र कुमार कानि0 66, श्रीमती ममता मकानि0, पूरण सिंह कानि 243, अशोक कानि 434, श्री वीरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री अभिषेक मित्रा व श्री पार्थ शर्मा व परिवादी श्री रोशन बैरवा मय गिरफ्तारशुदा आरोपी सुबेसिंह कानि 6540 मय वजह सबूत जब्त सिल्डशुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के सरकारी व प्राईवेट वाहन व चालको के बाद ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना ज्योति नगर से रवाना होकर समय 01.15 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पहुंचे। इसके पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने स्वयं के पास सुरक्षित रखे एसडी कार्ड लगे डिजिटल वॉयस रिकार्डर को परिवादी श्री रोशन बैरवा व स्वंतत्र गवाहान की उपस्थिति में चालू कर दिनांक 13.06.2023 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 14.06.2023 को वक्त रिश्वत लेनदेन रिकॉर्ड हुई वार्ता को लेपटॉप की सहायता से सुनकर रिकॉर्ड वार्ताओं मे परिवादी रोशन बैरवा द्वारा एक आवाज स्वंय की एवं

दुसरी आवाज आरोपी श्री सुबेसिंह कानि की होना ताईद की। जिस पर उपरोक्त वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उक्त वार्ताओं की लेपटॉप की सहायता से 05 सीडी तैयार की जाकर मार्क A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 दिया जाकर सीडी मार्क A-1, A-2, A-3 को सील्डमोहर किया एवं सीडी मार्क A-4, A-5 को खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड को पृथक से सील्डमोहर कर मार्क SD दिया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेनदेन वार्ता पृथक से तैयार कर संबधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री सूबे सिंह जाटव हाल कानिस्टेबल बेल्ट नम्बर 6540, पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय जयपुर द्वारा परिवादी श्री रोशन बैरवा व उसके परिवार के विरूद्व उसकी चाची द्वारा पुलिस थाना ज्योति नगर में दी गई परिवाद रिपोर्ट में से परिवादी रोशन बैरवा का नाम निकालने व परिवाद का निस्तारण करने की एवज में दिनांक 13.06.2023 को मांग सत्यापन के दौरान 3000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मांग के अनुसरण में दिनांक 14.06.2023 को 3000 रूपये रिश्वत राशि परिवादी रोशन बैरवा से प्राप्त की गई, जो उसकी पहनी हुई पेंट की पीछे की दांयी जेब से बरामद हुई। जिससे श्री सूबे सिंह जाटव हाल कानिस्टेबल बेल्ट नम्बर 6540, पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय जयपुर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पीसी(संशोधन) एक्ट 2018 में कारित किया जाना पाया गया है।

अतः आरोपी सूबे सिंह जाटव पुत्र श्री फगनीराम उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट मुडियासाद, तहसील बैर पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर हाल निवासी 77बी चाणक्यपुरी तिलक अस्पताल के पास आगरा रोड पुलिस थाना कानोता जयपुर हाल कानिस्टेबल बेल्ट नम्बर 6540, पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय जयपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधन) एक्ट 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

14-6-23

(भंवर सिंह)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भंवर सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सूबे सिंह जाटव पुत्र श्री फगनीराम, कानिस्टेबल बेल्ट नम्बर 6540, पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 152/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14/6/23
(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 1148-51 दिनांक 14.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस उपायुक्त(दक्षिण), जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-द्वितीय जयपुर।

14/6/23
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।